



No. 630 /NFA – 2023/80.01/OWTC (2023-24)

Date: 28.06.2023

To

The Principal Chief Conservator of Forests (HoFF),
Department of Forest, Government of West Bengal,
Aranya Bhawan, LA-10A Block,
Sector-III, Saltlake,
Kolkata -700106, West Bengal

Sub: One-week Compulsory Training Course for IFS officers from 21 – 25 August 2023 at IGNA – reg.

Ref: MoEF&CC Letter No. 15-23/2009-RT dated 09.06.2023.

Sir,

The Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC) has sponsored a One-Week Compulsory Training Course on “**International Conventions on Forestry, Climate Change and Environment**” for the Indian Forest Service (IFS) officers from **21.08.2023 to 25.08.2023** to be conducted at Indira Gandhi National Forest Academy (IGNFA), Dehradun.

The MoEF&CC, vide letter under reference (copy enclosed) has nominated the following officer/s from your State for the above Training.:

S. No.	Name (Mr./Ms.)	Officer code	Cadre/Year
1	PRADIP BAURI	WB/186	WB/2013
2	MANOJ KUMAR SAHA	WB/188	WB/2007

The training cost, boarding and lodging expenses of the participant/s will be borne by the Government of India. The Academy would be arranging the boarding and lodging of the officer/s, however, the TA/DA expenses are to be borne by the concerned State Government.

The nominated officer/s are required to complete the online registration on IGNA portal (www.ignfa.gov.in) indicating their availability for the programme. The officer/s may also contact the Course Coordinator, Shri Gorakh Kalunge Waman, Associate Professor, IGNA (Mob: 9777226405/Tel: 0135-2750964/email: ist-cell@ignfa.gov.in) for further details.

It is therefore, requested to kindly depute the nominated officer/s to attend the aforesaid training at the Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun.

Yours faithfully,

Encl: As above

Additional Director
IGNFA, Dehradun

Copy for information and necessary action to:

1. The Deputy Inspector General of Forests (Research & Training), MoEF&CC, New Delhi.
2. The officers concerned with a request to complete the online registration, which is compulsory.



क्र.सं. 630 /रा.व.अ. - 2023/80.01/ओ.डबल्यू.टी.सी. (2023 - 24)

दिनांक: 29.06.2023

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख),
वन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार,
अरण्य भवन, LA-10A ब्लॉक,
सेक्टर- III, साल्टलेक,
कोलकाता -700106, पश्चिम बंगाल

विषय: भा.व.से. अधिकारियों के लिए एक सप्ताह के अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन इ.गां.रा.व.अ. में 21 - 25 अगस्त 2023 तक किए जाने के संबंध में

संदर्भ: पर्या.व.ज.परि. मंत्रालय का दिनांक 09.06.2023 का पत्र सं. 15-23/2009-RT

महोदया,

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय वन सेवा (भा.व.से.) अधिकारियों के लिए "International Conventions on forestry, Climate Change and Environment" विषय पर एक सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किया गया है जिसका आयोजन 21.08.2023 से 25.08.2023 तक इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में किया जाएगा।

प.व.ज.परि.मंत्रालय द्वारा संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के माध्यम से उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आपके राज्य के निम्नलिखित अधिकारी (यों) को नामित किया गया है -

S. No.	Name (Mr./Ms.)	Officer code	Cadre/Year
1	PRADIP BAURI	WB/186	WB/2013
2	MANOJ KUMAR SAHA	WB/188	WB/2007

प्रतिभागी (यों) के प्रशिक्षण खर्च, आवास एवं भोजन पर होने वाला व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अधिकारी (यों) के लिए भोजन एवं आवास की व्यवस्था अकादमी द्वारा की जाएगी, तथापि, उनके यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते संबंधित राज्य सरकार को वहन करने होंगे।

नामित अधिकारियों द्वारा उक्त कार्यक्रम के लिए अपनी उपलब्धता दर्शाते हुए आईजीएनएफए पोर्टल (www.ignfa.gov.in) पर ऑनलाइन पंजीकरण पूर्ण करना आवश्यक होगा। इन अधिकारियों द्वारा अन्य किसी विवरण हेतु कार्यक्रम समन्वयक श्री कालुंगे गोरख वामन, सह प्राध्यापक (मोबा: 9777226405 / टेली: 0135-2750964 / ईमेल: ist-cell@ignfa.gov.in) से संपर्क किया जा सकता है।

अतएव, अनुरोध है कि नामित अधिकारी (यों) को उक्त प्रशिक्षण में शामिल होने हेतु इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून भेजने की कृपा करें।

संलग्न: यथोपरि

भवदीय,

अपर निदेशक

इ.गां.रा.व.अ., देहरादून

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रति :

- वन उप महानिरीक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- संबंधित अधिकारी (यों) - इस निवेदन के साथ कि ऑनलाइन पंजीकरण पूर्ण करें, जो अनिवार्य है।